मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

ज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

स्म मुकदमा छोटेलाल बनाम राज० सरकार

नं० 101/24 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 10/10/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
10/10/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपा वास्ते पेश करने वकालतनामा दिनांक 24/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
24/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिमांक 1/11/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
1/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 3/12/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
3/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 24/12/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 की ओर से एड. श्री वीरेन्द्र सिंह ने वकालतनामा, दस्तावेजों की सूची मय जवाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण सं. 2 लगा. 4 पेश किया। शामिल पत्रावली किया। अप्रार्थीगण सं. 01 बावजूद रजिस्टर्ड Ad तामील उप. नहीं। अतः अप्रार्थीगण सं. 01 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 13/01/2025 को पेश हो।
	(signature) उप खण्ड अधिकारी [illegible] (टोंक)
13/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा - 128 LRAct पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(signature) 13/1/25 उप खण्ड अधिकारी [illegible] (टोंक)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 101 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक 16.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 13.01.2025

उनवान

1. छोटेलाल पुत्र रामफूल
2. बाबू पुत्र घासी
3. मानसिंह पुत्र रामफूल
4. मोहनलाल पुत्र रामफूल
5. सोहनलाल पुत्र रामफूल
6. हीरालाल पुत्र रामफूल

समस्त जाति माली निवासी अक्षयपुरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. बाबूलाल पुत्र रेवड
3. रामसिंह पुत्र रेवड
4. लटूर पुत्र रेवड

समस्त जाति माली निवासी अक्षयपुरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट स्थायी सीमा चिन्ह पत्थरगढी किये जाने बाबत "

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128, 111 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्थायी सीमा चिन्ह पत्थरगढी किये जाने बाबत इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या नया 46 पुराना 44 के आराजी खसरा नं. 470, 477, 478, 482 लगायत 485 कुल किता 07 कुल रकबा 1.46 हैक्टेयर वाके गांव अक्षयपुरी पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील बांदीकुई में स्थित है प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार अप्रार्थीगण 02 लगायत 04 की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 59 पुराना 58 आराजी खसरा नं. 283, 284, 469, 486, 489 कुल किता 05 कुल रकबा 1.58 हैक्टे. वाके गांव अक्षयपुरी पटवार हल्का प्रतापपुरा में स्थित है। अप्रार्थीगण 02 लगायत 04 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो काश्त के समय हर बार सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है प्रार्थीगण की आराजीयात के पत्थरगढी नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की सुरक्षा दीवार भी नहीं कर पा रहे है। जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुँचाते है। पत्थरगढी नहीं

होने के कारण सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण 02 लगायत 04 के साथ विवाद होता रहता है। जिसके कारण पक्षकारान में झगडा फिसाद होने की संभावना बनी रहती है। पक्षकारान की आराजीयात की सीमाओं के विवाद के स्थायी समाधान के लिये प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना कानूनन, इंसाफन न्यायोचित है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात की सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2024 को करवा ली है। दिनांक 19.06.2024 को तहसीलदार बांदीकुई के आदेश कमांक भू.आ./2024/2970 दिनांक 07.06.2024 की पालना में हल्का पटवारी ने पक्षकारान की मौजूदगी में आराजी खसरा नं. 470, 485, 484, 483, 482, 477 का सीमाज्ञान मौके पर किया गया। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 470, 477,478, 482, 483, 484, 485 वाके गांव अक्षयपुरी की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण 02 लगायत 04 अकारण ही विवाद करते रहते है। अन्य पडोसी खातेदारों से प्रार्थीगण का सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण 02 लगायत 04 मौके पर विवाद कर रहे है और प्रार्थीगण को मुताबिक सीमाज्ञान तारबंदी नहीं करने दे रहे है। इस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश करना लाजमी हुआ है। ताकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं का अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 के साथ स्थायी समाधान हो सके। अतएव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 470, 477, 478, 482, 483, 484, 485 वाके गांव अक्षयपुरी का दिनांक 19.06.2024 को किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 की ओर से एड. श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 04 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत करवाया कि प्रार्थना पत्र के चरण नंबर 03 में समस्त तथ्य गलत, असत्य, बनावटी दर्ज किये है। स्वीकार नहीं है। उत्तरदाता निहायत ही सीधे साधे व्यक्ति है, झगडालू व्यक्ति नहीं है और ना ही काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण झगडालू व लट्ठबाज व्यक्ति है जिन्होने उत्तरदातागण के विरूद्ध संगीन गिरोह बना रखा है। प्रार्थीगण की भूमि काश्त उपरोक्त का साबिका खसरा नं. 85 था तथा उत्तरदातागण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि वर्णित चरण नंबर 02 प्रार्थना पत्र के साबिका खसरा नंबर 86 था। साबिका खसरा नं. 85 व 86 के मध्य अर्सा 60–70 वर्ष पुरानी खाम डौल स्थित चली आ रही है जो आज भी बदस्तूर स्थित है। इस डौल के मध्य में फैन्सिंग की हुई है। सैटलमेन्ट के दौरान उत्तरदातागण की खातेदारी की भूमि साबिका खसरा नं. 86 से हाल खसरा नं. 486 व 469 बने है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के साबिका खसरा नंबर 85 से हाल खसरा नं. 482 लगायत 485 व 470 बने है। सेटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी अधिकार से अवैध रूप से, नवीन नक्शाशीट में प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 486, 469 का रकबा कम करके इस रकबे को गलत रूप से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 485 व 470 में शामिल करते हुए नक्शाशीट में खसरा नं. 485 व 470

का रकबा अवैध रूप से बढा दिया है, जबकि प्रार्थीगण एवं उत्तरदातागण आज भी मौके पर साबिका नक्शाशीट के अनुसार अपनी–अपनी खातेदारी की भूमि के रकबे पर निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के अवैध रूप से हाल नक्शाशीट में उत्तरदातागण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 486 व 469 का रकबा कम करके इस रकबे का अवैध रूप से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 485 व 470 के रकबे में मिलाकर नक्शा शीट में रकबा अवैध रूप से बढा देने की जानकारी होने पर उत्तरदातागण ने प्रार्थीगण के विरूद्ध दावा बाबत दुरूस्ती नक्शा ट्रेस व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी बाबूलाल वगै. बनाम छोटेलाल वगै. मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी बाबूलाल वगै. बनाम छोटेलाल वगै. प्रार्थना पत्र संख्या 93/2024 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिसमे जरिये आदेश दिनांक 18.07.2024 द्वारा दावा हाजा के प्रार्थीगण छोटेलाल वगै. को खसरा नं. 486, 469 व खसरा नं. 485, 470 के मध्य स्थित खाम डौल को खुर्द बुर्द करने तथा इस डौल पर लगी तारबंदी को हटाने तथा भूमि मुतदाविया को रहन बय करने से मौके की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से प्रतिबंधित किया हुआ है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा की गयी इस अवैध कार्यवाही की आड में प्रार्थीगण, उत्तरदातागण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर नाजायज रूप से काबिज होना चाहते है इसलिये यह प्रार्थना पत्र सैटलमेन्ट विभाग के द्वारा नक्शा शीट में गलत रूप से खसरा नंबर 485 व 470 का रकबा बढा देने का गलत रूप से फायदा उठाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज होने योग्य है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय हाजा के समक्ष लंबित मुकदमा बाबूलाल वगैरह बनाम छोटेलाल वगै. बाबत दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा शीट एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नंबर 108/2024 का विधिवत अंतिम निर्णय होने तक दावा हाजा के प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी नहीं होने से भी यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। चरण नंबर 04 प्रार्थना पत्र गलत असत्य बनावटी दर्ज किया गया है। स्वीकार नहीं है। इस चरण में वर्णित यह तथ्य की प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 19.06.2024 को तथाकथित सीमाज्ञान करवा लिया है, इस कथित सीमाज्ञान की कोई जानकारी उत्तरदातागण को नहीं है। इस चरण में पक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान मौके पर कराये जाने का कथन भी गलत दर्ज किया गया है। कथाकथित मौका पर्चा सीमाज्ञान गलत है। चरण नंबर 05 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार दर्ज किया गया है गलत असत्य बनावटी है। स्वीकार नहीं है। उत्तरदातागण ने प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमा को लेकर विवाद नहीं किया है बल्कि सैटलमेन्ट विभाग की गलती से,प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नं. 485 व 470 का नक्शाशीट में अवैध रूप से रकबा बढाने तथा इस बढे रकबे को अवैध रूप से उत्तरदातागण के खातेदारी की भूमि के खसरा नंबर 486, व 469 के रकबे में से कम कर दिया गया । सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा नक्शा शीट में रकबे में की गयी गलती का फायदा उठाने की गरज से प्रार्थीगण के द्वारा मौके पर विवाद किया गया तब उत्तरदातागण के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध दावा उनवानी बाबूलाल वगै. बनाम छोटेलाल वगै. दावा दुरूस्ती नक्शाशीट व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय हाजा के समक्ष लंबित है। मौके पर साबिका सीट अनुसार प्रार्थीगण तथा उत्तरदातागण मौके पर अपनी–अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज है तथा खसरा नं. 486, 469 तथा खसरा नं. 485, 470 के मध्य की डौल पर तारबंदी की

हुई है। इसलिये प्रार्थीगण का यह कथन कि उत्तरदातागण प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे है गलत है, हाल नक्शाशीट जो कि गलत है के अनुसार पत्थरगढी कराने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थीगण के हक में प्रार्थना पत्र पेश करने का काई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील द्वारा बहस में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 470, 477, 478, 482, 483, 484, 485 वाके गांव अक्षयपुरी का दिनांक 19.06.2024 को किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने के लिये निवेदन किया गया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2076–79 खाता सं. नया 46 पुराना 44, सीमाज्ञान मौका पर्चा अक्षयपुरी दिनांकः 19.06.2024 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2076–79 खाता सं. नया 46 पुराना 44 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। सीमाज्ञान मौका पर्चा अक्षयपुरी दिनांकः 19.06.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। मौके पर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण/खातेदारान एवं अप्रार्थीगण के मध्य भूमि रकबा में कम/ज्यादा को लेकर विवाद है तथा न्यायालय हाजा में उक्त विवादित भूमि से संबंधित दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा शीट एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद उनवानी बाबूलाल बनाम छोटेलाल विचाराधीन है। जिसका पर्याप्त साक्ष्य सबूतो के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत निस्तारण किया जाना है उक्त उनवानी प्रकरण के निस्तारण के बिना वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है साथ ही एक ही भूमि के दो अलग–अलग वाद चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

13.01.25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई